हरिचरण और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य

22 अक्टूबर, 1997

[जी . टी. नानावती और वी.एन.खर, जे.जे .]

भारतीय दंड संहिता ,1860: धारा 302 भा०दं०सं० के साथ पढ़े धारा 49 हथियारबंद लोगों ने बंदूक की नोक पर बस रोकी, मृतक पर गोली चलायी और उस पर अनय् हथियारों से हमला किया और अपराध करने के बाद एकसाथ भाग गये–प्रतिपादित वे एक गैर कानूनी सजा के सदस्य थे जो अपने सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कार्य प्रतिपादित कर रहे थे।

दोनों अपीलकर्ता एक सशस्त्र समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने एक बस को बंदूक की नोक पर रोका था। यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहा। फिर उन्होंने कंडक्टर को बाहर खींचने का प्रयास किया, जिसमें विफल रहने पर ए–1 ने उस पर गोली चला दी और उसे घायल कर दिया और अन्य लोगों ने अपने हथियारों से उस पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गयी। प्रत्यक्षदर्शी पी०डब्ल्यू०–1 उक्त बस के एक यात्री और उसके चालक, पी०डब्ल्यू०–6 ने पी०डब्ल्यू०–2 को घटना की सूचना दी, जिन्होंने तुरंत एक रिपोर्ट तैयार की और इसे पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत किया।

निचली अदालत ने पी०डब्ल्यू०–1 के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए ए–1 को धारा 302 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषी ठहराया और अपीलार्थी और अन्य को धारा 302 भा०दं०सं० के साथ धारा 49 अपीलार्थियों को अपील करने की अनुमति दी गयी थी।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि किसी भी प्रत्यक्ष कार्य के संबंध में कोई स्पष्ट सबूत नहीं दिया गया जो यह सुझाव देता हो कि वे गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कार्य कर रहे थे और इसके अलावा कोई सबूत नहीं था, जिससे यह साबित हो कि उन्होंने मृतक की हत्या में कोई हिस्सा लिया था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा–

प्रतिपादित अपीलकर्ताओं को धारा 302 भा०दं०सं० के साथ पढे धारा 49 [681 – डी]

नीचे दिये गये दोनों न्यायालयों ने पी०डब्ल्यू० –1 के साक्ष्य पर भरोसा किया। उसके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिस बस में वह यात्रा कर रहे थे, उसे पांच लोगों ने रोका था, वे हथियारों से लैस थे और ए–1 के पास एक बंदूक थी, जिसने चालक की छाती पर बंदूक रखकर बस को न चलाने की धमकी दी। उन्होंने तब मृतक को नीचे खींचने की कोशिश की थी, जिसमें विफल रहने पर ए–1 ने दो गोलियां चलायी और उसे घायल कर दिया।

अन्य अभियुक्तों ने भी अपने हथियारों से उस पर हमला किया। उसे मारने के बाद वे भाग गये।

3. इस गवाह की पुष्टि पी०डब्ल्यू०–2 के साक्ष्य से होती है, जिसने कहा कि पी०डब्ल्यू०–1 ने उसे उक्त घटना के बारे में सूचित किया था, जिसके आधार पर उसने तुरंत एक रिपोर्ट तैयार की और उसे पुलिस स्टेशन में पेश कर दिया। उस रिपोर्ट में उन व्यक्तियों के रूप में पी०डब्ल्यू०–1 और पी०डब्ल्यू०–6 के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने घटना को देखा था और पी०डब्ल्यू०–2 को इसके बारे में सूचित किया था। पी०डब्ल्यू०–6 ने जिरह में कहा था कि पी०डब्ल्यू०–1 उर्वरकों के थैलों के साथ बस में यात्रा कर रहा था। इस प्रकार पी०डब्ल्यू०–1 के साक्ष्य की उचित रूप से सराहना की गयी। (680–जी–एच. 681–ए)

4. सभी पांचों आरोपी हथियार लेकर घटनास्थल पर गये थे– बस को रोका– ड्राइवर की छाती पर बंदूक रख दी और गोली मारने की धमकी दी, अगर वह आगे बस चलाता है। उन्होंने मृतक को पकड़ लिया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। बंदूक से लैस आरोपी ने मृतक पर गोलियां चलायी थीं और अन्य अभियुक्तों ने उस पर अन्य हथियारों से हमला किया था। वे सब एक साथ भाग गये। इसलिए– यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपने सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कार्य नहीं कर रहे था। (680–एफ, 681–सी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील संख्या 89/1988

1984 की आपराधिक अपील संख्या 120 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 20.01.87 से

अपीलार्थियों के लिए कैलाश वासदेव।

उत्तरदाता के लिए के.एस. भाटी।

द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया।

नानावती जे. दो अपीलार्थियों के साथ दो अन्य लोगों को रामबाबू की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। उनके खिलाफ जो साबित हुआ है, वह यह है कि उन्होंने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया और गैरकानूनी सभा का आम उद्देश्य पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, दिनांक 27.02.81 को लगभग दोपहर 1 बजे उन्होंने हथियारों से लैस होकर, धौलपुर से खुथियाना घाट जाने वाली बस को रोक दिया–, यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहा–, बस के कंडक्टर रामबाबू और फिर अपीलकर्ता राममो को अपनी बंदूक से दो गोलियां दागकर बाहर निकालने का प्रयास किया और अन्य लोगों को घायल किया और इस तरह रामबाबू की मौत हो गयी।

अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 3 चश्मदीद गवाहों की जांच की थी।

जो पी०डब्ल्यू०–1 केदारनाथ, पी०डब्ल्यू०–3 रामजीलाल और पी०डब्ल्यू०–6 सत्यपाल सिंह बस चालक थे। पी०डब्ल्यू०–7 ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और सरकारी वकील द्वारा जिरह की जानी थी– विद्वान विचारणीय न्यायालय ने पी०डब्ल्यू०–3 रामजीलाल जो मृतक का भाई था पर विश्वास इस आधार पर नहीं किया कि वह बस में नहीं था। केदारनाथ के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए विचारणीय न्यायालय ने रम्मो (ए–1) को अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं० और अन्य को आई०पी०सी० की धारा 302 के साथ धारा 49 के पढ़ने के तहत दोषी ठहराया। चारों अभियुक्तों ने अपील करने की अनुमति के लिए न्यायालय में आवेदन किया। अनुमति हरीचरन (ए–3) और सियाराम (ए–4) को दी व रम्मो और कैलाशी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि जहां तक ए–3 और ए–4 की बात है, तो इसके संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, जो यह सुझाव दे कि वह सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कार्य कर रहे था या कि वे किसी गैरकानूनी सभा के सदस्य भी थे। यह भी तर्क दिया गया कि यदि वह गैरकानूनी सभा के सदस्य थे तो किसी भी साक्ष्य के अभाव को देखते हुए कि उन्होंने रामबाबू की हत्या में भाग लिया, यह नहीं कहा जा सकता कि गैर कानूनी सभा के उद्देश्य को लेकर हत्या की गयी। इसलिए उनकी दोषसिद्धि अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं० के साथ पढ़े धारा 49 सही नहीं है।

हमने पी०डब्ल्यू०–1 केदारनाथ के साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस बस में वे यात्रा कर रहे थे, उसे फरातपुर के पास पांच लोगों द्वारा रोक दिया गया था। जिन लोगों ने बस को रोका था, वे हथियारों से लैस थे और रम्मो के पास बंदूक थी। बस रोकने के बाद उसने बंदूक चालक सतपाल की छाती पर रख दी और धमकी देते हुए बस को आगे न बढ़ाने का लिए कहा। उन्होंने कंडक्टर को नीचें खींचेने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसके बाद आरोपी राम्मो ने दो गोलियां चलाई और उसे घायल कर दिया। शेष तीन ने भी अपने हथियारों से उस पर हमला किया था। रामबाबू को मारने के बाद वे भाग गये। जहां तक इस गवाह की बात है, तो हम पाते हैं कि वह पी०डब्ल्यू०–2 रामस्वरूप के साक्ष्य से पुष्टि करता है, जिन्होंने कहा था कि लगभग 3 बजे केदारनाथ ने उन्हें घटना के बार में सूचित किया। उक्त जानकारी के आधार पर उन्होंने तुरंत एक रिपोर्ट तैयार की और उसे पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट में उन व्यक्तियों के रूप में केदारनाथ और सतपाल के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने घटना को देखा था और गवाह को इस बारे में सूचित किया था। बचाव पक्ष का प्रयास यह दिखाने का था कि यह गवाह उस बस से यात्रा नहीं कर रहा था, क्योंकि वह विरोधाभासी था, जब उसने कहा कि वह ग्वार्सा उर्वरक खरीदकर लौट रहा था, जबकि उसके द्वारा प्रस्तुत बिल से पता चलता है कि उसने उस दिन यूरिया खरीदा था। उनके साक्ष्य में यह विसंगित बस में उनकी उपस्थिति पर संदेह करने के लिए पर्याप्त है। भले ही सतपाल अभियोजन पक्ष से मुकर गया, लेकिन सरकारी वकील द्वारा उसकी जिरह से यह भी संकेत मिलता है कि जब वह रामजीलाल को सूचित करने गया तो केदारनाथ उसके साथ था और वह उर्वरकों के थैलों के साथ बस में यात्रा कर रहा था। नीचे दी गयी दोनों न्यायालयों ने इस गवाह के साक्ष्य पर भरोसा किया है और हम पाते हैं कि उसके साक्ष्य की उचित सराहना की गयी है।

एक बार जब हम केदारनाथ के साक्ष्य को स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी पांच अभियुक्त अपने सामान उद्देश्य के अभियोजन में कार्य कर रहे थे। जैसा कि पहले बताया गया है कि वे हथियार लेकर घटनास्थल पर गये थे– बस को रोका– ड्राइवर सतपाल की छाती पर बंदूक रख दी और

उसे गोली मारने की धमकी दी।– अगर वह आगे बस चलाता है। उन्होंने रामबाबू को पकड़ लिया था और उसे बाहर निकालने की कोशिश की थी। राम्मो ने उस पर दो गोलियां चलाई थीं और अन्य अभियुक्तों ने उस पर अन्य हथियारों से हमला किया था, वे एक साथ भाग गये थे। इसलिए हमारी राय है कि अपीलकर्ताओं को उचित रूप से धारा 302 भा०दं०सं० के साथ पढ़े धारा 49 में दोषी ठहराया गया था। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

अपीलकर्ताओं को आत्मसमर्पण कर हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है ताकि वे अपनी सजा का शेष भाग काट सके।

राज्य को उसे हिरासत में लेने और उक्त उद्देश्य के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया है। याचिका खारिज।

अनुवादक,

(प्रियांशु शैलत)
सिविल जज (जू०डि०)/एफ.टी.सी.,
कासगंज (उत्तर प्रदेश)।

Digitally signed by Priyanshu Shailat
Date: 2023.10.13 14:21:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court